

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म०प्र०) ::

क्रमांक 83 /री.ए.डी.एम./2019

इन्दौर, दिनांक 08/08/2019

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) जिला इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन क्र० पुअ/मुख्या/जिविशा / इन्दौर/2019(576) दिनांक 29/07/2019 द्वारा अवगत कराया गया कि बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाने से अपराधी की रोकथाम एवं पतारसी करना अत्यन्त कठिन होत जा रहा है । शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति का भय बना हुआ है । वैसे भी इन्दौर मध्यप्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं रोजगार के बड़े केन्द्र के रूप में विकसित होने से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है । इन्दौर शहर की जनसंख्या अन्य शहरों की तुलना में निरन्तर बढ़ती चली जा रही है तथा बाहरी व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है । पुलिस द्वारा जाँच करने पर इस प्रकार से बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जाँच में परेशानी उत्पन्न होती है । इस प्रकार अपराधों की रोकथाम व इन पर नियंत्रण करना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है । पूर्व में इन्दौर से आतंकवादी संगठन के सदस्यों एवं बंगलादेशी अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति के संकट का भय बना हुआ है । ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इन्दौर शहर में हर दिन जुड़ने वाली नयी आबादी की जानकारी पुलिस थाने पर ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक सम्पत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकें ।

अतः इन असामाजिक तत्वों द्वारा इन मकानों/नौकरों के रूप में असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जनसामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएँ भी व्याप्त हो रही है । अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

DL
District Magistrate
District-Indore (M. P.)



किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे । इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।

2. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
3. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
4. होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
5. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना टेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरान्त ही उन्हें काम पर रखा जाए । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
6. पेंडिंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे । इसके उपरान्त ही पेंडिंग गेस्ट रखा जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।
7. ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे । साथ ही आई0डी0 प्रुफ आवश्यक रूप से लिया जावे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालकों / मकान/दुकान मालिकों/टेकेदारों आदि के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व मकान मालिकों एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी ।

Rd
District Magistrate
District-Indore (M.P.)